अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों की स्थिति नीचे तालिका 1.1.1 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	20,758.12	25,377.05	30,502.65	33,477.70	38,672.87
	• कर इतर राजस्व	6,294.12	9,175.10	12,133.59	13,575.25	13,229.50
	योग	**27,052.24**	**34,552.15**	**42,636.24**	**47,052.95**	**51,902.37**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	12,855.63	14,977.05	17,102.85	18,673.07	**19,817.04**
	• सहायतार्थ अनुदान	6,020.33	7,481.56	7,173.92	8,744.35	**19,607.50**
	योग	**18,875.96**	**22,458.61**	**24,276.77**	**27,417.42**	**39,424.54**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)**	**45,928.20**	**57,010.76**	**66,913.01**	**74,470.37**	**91,326.91**[1]
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**59**	**61**	**64**	**63**	**57**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 51,902.37 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 57 प्रतिशत रहा। वर्ष 2014-15 में शेष 43 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

[1] ब्यौरे के लिए कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपर्युक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

1.1.2 अवधि 2010-11 से 2014-15 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के सम्बन्ध में बजट अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण निम्न तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान वास्तविक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2014-15 में 2013-14 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	बजट अनुमान	11,514.82	13,088.08	15,402.08	19,528.00	24,120.00	
		वास्तविक	11,901.24	14,665.63	17,214.34	19,834.72	22,644.89	(+)14
	केन्द्रीय बिक्री कर	बजट अनुमान	215.18	401.92	1,147.92	1,522.00	1,505.00	
		वास्तविक	728.35	1,100.80	1,360.31	1,380.79	1,525.02	(+)10
2.	राज्य आबकारी शुल्क	बजट अनुमान	2,450.00	2,623.00	3,250.00	4,500.00	5,330.00	
		वास्तविक	2,861.41	3,287.05	3,987.83	4,981.59	5,585.77	(+)12
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
	मुद्रांक-न्यायिक	बजट अनुमान	35.60	43.15	60.14	105.40	156.66	
		वास्तविक	43.07	79.40	144.27	104.59	54.27	(-)48
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	बजट अनुमान	1,379.48	1,577.08	2,264.97	3,268.57	2,823.35	
		वास्तविक	1,522.01	2,153.68	2,693.13	2,577.76	2,705.10	(+)5
	पंजीयन शुल्क	बजट अनुमान	234.92	279.77	474.89	526.03	520.00	
		वास्तविक	375.96	418.29	497.47	442.98	429.52	(-)3
4.	मोटर वाहनों पर कर	बजट अनुमान	1,450.00	1,650.00	1,900.00	2,500.00	2,800.00	
		वास्तविक	1,612.25	1,927.05	2,283.13	2,498.90	2,829.86	(+)13
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	778.80	846.64	1,505.25	1,512.61	1,697.18	
		वास्तविक	905.81	1,094.48	1,570.06	948.93	1,534.51	(+)62
6.	भू-राजस्व	बजट अनुमान	185.06	196.06	196.06	185.51	324.69	
		वास्तविक	222.17	209.01	304.55	337.98	288.58	(-)15
7.	माल एवं यात्रियों पर कर	बजट अनुमान	252.00	265.00	280.00	300.00	360.00	
		वास्तविक	230.69	220.13	248.57	287.92	956.52	(+)232
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	बजट अनुमान	74.99	78.74	50.99	55.00	99.99	
		वास्तविक	64.43	43.44	48.47	68.46	113.68	(+)66
9.	अन्य कर इत्यादि[2]	बजट अनुमान	450.00	300.00	300.00	50.00	50.17	
		वास्तविक	290.73	178.09	150.52	13.08	5.15	(-)61
	योग	**बजट अनुमान**	**19,020.85**	**21,349.44**	**26,832.30**	**34,053.12**	**39,787.04**	
		वास्तविक	**20,758.12**	**25,377.05**	**30,502.65**	**33,477.70**	**38,672.87**	**15.52**
	पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			**22.25**	**20.19**	**9.75**	**15.52**	

विगत चार वर्षों में कर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही। वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व में 15.52 प्रतिशत की वृद्धि रही।

[2] अन्य कर में, आय तथा व्यय पर कर, व्यापार तथा वृत्ति पर कर, श्रम एवं रोजगार तथा भूमि कर शामिल है।

'विद्युत पर कर एवं शुल्क' में वृद्धि (62 प्रतिशत) विद्युत के उपयोग एवं बिक्री पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण रही और 'माल एवं यात्रियों पर कर' में वृद्धि (232 प्रतिशत) मुख्यत: स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण रही। 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क' के अन्तर्गत (66 प्रतिशत) की वृद्धि मनोरंजन कर और विलासिता कर में अधिक प्राप्ति के कारण रही। 'अन्य कर आदि' में गिरावट (61 प्रतिशत) राज्य में भूमि कर में दी गयी छूट के कारण जबकि 'भू-राजस्व' (15 प्रतिशत) की गिरावट अनुपयोगी भूमि के बिक्री से कम प्राप्ति के कारण रही।

1.1.3 बजट अनुमान व वास्तविक प्राप्तियाँ वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के सम्बन्ध में विवरण निम्न तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान वास्तविक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2014-15 में 2013-14 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	बजट अनुमान	1,760.00	2,060.00	2,500.00	3,210.00	3,566.00	
	वास्तविक	1,929.58	2,366.32	2,838.59	3,088.66	3,635.46	(+)18
ब्याज प्राप्तियाँ	बजट अनुमान	1,129.25	1,229.22	1,428.79	1,933.88	1,959.83	
	वास्तविक	1,276.70	1,714.53	2,067.00	2,142.49	2,065.39	(-)4
विविध सामान्य सेवाएं	बजट अनुमान	216.02	195.40	324.29	576.17	920.88	
	वास्तविक	271.19	353.09	686.10	846.36	963.85	(+)14
पुलिस	बजट अनुमान	200.00	150.00	165.00	170.48	220.10	
	वास्तविक	133.93	143.54	192.07	167.27	240.03	(+)44
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	बजट अनुमान	61.49	60.99	78.88	89.94	107.19	
	वास्तविक	80.33	110.99	85.50	147.38	133.21	(-)10
वृहद् एवं मध्यम सिंचाई	बजट अनुमान	61.27	69.21	122.21	90.62	90.90	
	वास्तविक	86.04	91.83	87.21	80.62	67.08	(-)17
वानिकी एवं वन्य जीवन	बजट अनुमान	61.50	61.60	56.05	66.67	80.20	
	वास्तविक	93.20	74.95	91.24	77.52	89.31	(+)15
सार्वजनिक निर्माण	बजट अनुमान	70.00	75.75	75.75	65.00	74.76	
	वास्तविक	62.10	55.85	57.63	69.16	71.74	(+)4
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	बजट अनुमान	42.78	48.17	61.88	61.00	105.07	
	वास्तविक	45.46	59.38	96.04	65.61	116.43	(+)77
सहकारिता	बजट अनुमान	23.81	21.12	23.65	20.42	16.52	
	वास्तविक	16.35	22.38	22.02	18.80	16.88	(-)10
अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ[3]	बजट अनुमान	1,349.82	2,466.69	4,114.64	6,370.23	6,327.04	
	वास्तविक	2,299.24	4,182.24	5,910.19	6,871.38	5,830.12	(-)15
योग	**बजट अनुमान**	**4,975.94**	**6,438.15**	**8,951.14**	**12,654.41**	**13,468.49**	
	वास्तविक	**6,294.12**	**9,175.10**	**12,133.59**	**13,575.25**	**13,229.50**	**(-)2.55**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत			**45.77**	**32.24**	**11.88**	**(-)2.55**	

[3] अन्य कर-इतर प्राप्तियों में आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली-पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल है।

विगत चार वर्षों में कर इतर राजस्व संग्रहण में वृद्धि की गति बनायी नहीं रखी जा सकी और वर्ष 2014-15 में यह ऋणात्मक हो गयी।

'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' शीर्ष में (77 प्रतिशत) की वृद्धि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अधिक प्राप्ति के कारण रही व शीर्ष 'पुलिस' में (44 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यत: अन्य सरकारों और पार्टियों को पुलिस कार्मिक उपलब्ध कराने से प्राप्तियों के कारण रही। 'वृहद् एवं मध्यम सिंचाई' में (17 प्रतिशत) की गिरावट सिंचाई हेतु पानी की बिक्री में कम प्राप्ति के कारण रही जबकि 'अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ' में (15 प्रतिशत) की गिरावट अधिशुल्क में कम प्राप्ति के कारण रही।

1.2 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2015 के कुछ मुख्य शीर्षों में राजस्व की बकाया की राशि ₹ 4,431.29 करोड़ थी, जिनमें से ₹ 1,604.88 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि निम्न तालिका 1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2015 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाणिज्यिक कर	3,731.29	1,304.85
2.	परिवहन	63.13	23.71
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	248.62	53.52
4.	राज्य आबकारी	198.73	194.41
5.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	189.52	28.39
	योग	**4,431.29**	**1,604.88**

स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं के आधार पर।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि ₹ 1,604.88 करोड़ पांच वर्षों से अधिक से बकाया है। बकाया किस स्तर पर हैं, जानने के लिये विभागों को लिखा गया (अक्टूबर 2015) किन्तु विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।

1.3 कर निर्धारण में बकाया

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अन्त में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण आगे तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2014-15 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण	कुल देय निर्धारण	वर्ष 2014-15 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 से 4 तक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर	15	3,84,875	3,84,890	2,79,075	1,05,815	72.51
पंजीयन एवं मुद्रांक	6,840	6,094	12,934	6,863	6,071	53.06
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	10,485	14,497	24,982	15,208	9,774	60.88

स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचनाओं के आधार पर।

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि निस्तारित प्रकरणों का प्रतिशत पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में न्यूनतम रहा। विभाग को प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन के प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों एवं अतिरिक्त कर की मांग कायम के प्रकरणों का विवरण निम्न तालिका 1.4 में दिया गया है:

तालिका 1.4

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया प्रकरण	वर्ष 2014-15 के दौरान खोजे प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण कर शास्ति वगैर सहित अतिरिक्त मांग कायम की गयी		निस्तारण हेतु 31 मार्च 2015 को बकाया प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	वाणिज्यिक कर	332	6,815	7,147	6,736	1,104.12	411

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान कुल प्रकरणों में से 94 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया था। जबकि इन प्रकरणों के निपटारे में कितनी राशि की वसूली हुई, विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया (नवम्बर 2015)।

1.5 धन वापसी के बकाया प्रकरण

विभागों द्वारा बताये अनुसार गत वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में धन वापसी के प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान धन वापसी के निपटाये गये प्रकरण एवं वर्ष 2014-15 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	206	98.57	1,042	5.19
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये दावे	4,973	601.44	2,300	8.88
3.	वर्ष के दौरान निपटाये धन वापसी के प्रकरण	4,900	478.97	2,246	8.72
4.	वर्ष के अन्त में बकाया दावे	279	221.04	1,096	5.35

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर विभाग एवं पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में धन वापसी प्रकरणों में वृद्धि रही। सम्बन्धित विभागों को बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए। यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से निस्तारित प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभाग का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की मापक जांच के लिए महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष तथा प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2014 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति की समीक्षा से पता चलता है कि 2,932 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 3,206.77 करोड़ राशि के 8,964 अनुच्छेद

जून 2015 के अन्त में बकाया थे। जून 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों का विवरण, विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ निम्न तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6

विवरण	जून 2013	जून 2014	जून 2015
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,882	2,896	2,932
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	9,489	9,477	8,964
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	7,731.42	4,592.63	3,206.77

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि विगत तीन वर्षों में बकाया आक्षेपों और उनमें सन्निहित राजस्व राशि की यथेष्ट गिरावट रही।

1.6.1 विभाग-वार 30 जून 2015 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विवरण नीचे तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.1

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृत्ति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य परिवर्धित कर	584	2,369	558.93
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	20	23	7.12
2.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	437	1,352	168.70
3.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	113	300	441.70
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,362	3,625	325.01
5.	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	111	224	50.27
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	305	1,071	1,655.04
योग			**2,932**	**8,964**	**3,206.77**

वर्ष 2014-15 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 18 प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रथम अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त नहीं हुई।

यद्यपि बकाया आक्षेपों की संख्या तथा उसमें सन्निहित राशि की गिरावट विगत वर्षों से तुलना करने पर सराहनीय है, पर अभी भी लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गयी कमियों व अनियमितताओं को ठीक करने के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.2

क्र. सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	3	3	113	14.13
2.	परिवहन	4	3	74	2.27
3.	भू-राजस्व	1	12	79	98.52
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	4	4	141	2.41
5.	राज्य आबकारी	3	–	–	–
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	4	7	492	1,229.20
योग		**19**	**29**	**899**	**1,346.53**

उपरोक्त से पता चलता है कि वाणिज्यिक कर विभाग, परिवहन विभाग, राज्य आबकारी विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों में 19 बैठकें आयोजित की गयी जिनमें ₹ 1,346.53 करोड़ राशि के 899 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराओं को, महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें। सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में दर्शाया जाता है।

45 ड्राफ्ट पैरा इस प्रतिवेदन के 37 अनुच्छेदों में संकलित, जिनमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों को उनके नाम से अप्रेल से अक्टूबर 2015 के मध्य में प्रेषित किये गये थे। विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा 15 ड्राफ्ट पैराओं के उत्तर नहीं दिये गये जिनको उसी रूप में बिना सरकार के उत्तर के इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के लिए वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, विधानसभा में भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेगा तथा प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महिने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां विचार-विमर्श के लिए जनलेखा समिति को प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही हैं। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 को समाप्त होने वाले वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिनमें निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुल 176 अनुच्छेद शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 26 अगस्त 2011 तथा 25 मार्च 2015 के मध्य प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 73 दिवस विलम्ब से प्राप्त हुई। जनलेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन 2009-10 से 2011-12 के कुल 36 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 11 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को चार प्रतिवेदन (2012-13 तथा 2014-15) में सम्मिलित किया गया।

1.7 भू-राजस्व विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

सरकार/विभागों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए विगत 10 वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में एक विभाग का मूल्यांकन किया गया।

आगामी अनुच्छेद 1.7.1 से 1.7.2 में भू-राजस्व विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये प्रकरण और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रकरण भी शामिल है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

30 सितम्बर 2015 को भू-राजस्व विभाग के अवधि 2007-08 से 2014-15 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अन्त में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2007-08	156	199	86.48	52	136	54.57	73	124	25.52	135	211	115.53
2008-09	135	211	115.53	53	87	5.31	53	122	42.29	135	176	78.55
2009-10	135	176	78.55	211	367	174.48	87	156	73.48	259	387	179.55
2010-11	259	387	179.55	109	230	50.90	125	243	25.23	243	374	205.22
2011-12	243	374	205.22	53	184	933.82	63	154	113.37	233	404	1,025.67
2012-13	233	404	1,025.67	17	133	406.39	27	66	328.72	223	471	1,103.34
2013-14	223	471	1,103.34	16	109	58.63	96	241	612.21	143	339	549.76
2014-15	143	339	549.76	13	113	13.33	43	131	120.31	113	321	442.78

पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु महालेखाकार कार्यालय व विभाग के मध्य लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। यद्यपि विभाग द्वारा पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण की प्रगति जारी है, सारभूत परिणाम के लिये और प्रभावी एवं ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल प्रकरणों में से स्वीकार किये गये पैराओं और वसूली की स्थिति

भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित विगत दस वर्षो में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और जिनमें वसूली हुई, को निम्न तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकार्य अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार्य अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष 2014-15 के दौरान वसूली गई राशि	30 सितम्बर 2015 तक स्वीकार्य प्रकरणों में वसूली की समेकित स्थिति
2004-05	4	3.17	4	1.75	–	0.73
2005-06	2	29.98	2	28.66	–	14.84
2006-07	1	22.14	1	22.14	–	–
2007-08	4+1	239.19	4	196.05	–	76.63
2008-09	–	–	–	1.13	–	1.13
2009-10	3	180.00	3	117.55	0.10	10.02
2010-11	3	300.37	1	292.42	–	0.72
2011-12	7	23.83	5	8.68	0.11	7.35
2012-13	5	229.02	3	8.36	–	0.31
2013-14	5	8.22	–	–	–	–
योग	**35**	**1,035.92**	**23**	**676.74**	**0.21**	**111.73**

विभाग द्वारा 10 वर्षो के दौरान राशि ₹ 1,035.92 करोड़ के 35 अनुच्छेदों जिनमें से ₹ 676.74 करोड़ के 23 अनुच्छेदों को विभाग द्वारा पूर्व में ही स्वीकार किया जा चुका था, के विरूद्ध केवल ₹ 111.73 करोड़ की वसूली की जा सकी। आक्षेपों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 16.52 प्रतिशत की ही वसूली हुई थी।

विभाग को स्वीकार किये गये प्रकरणों में शामिल राशि की वसूली पर निगरानी एवं गति देने हेतु शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

1.7.3 सरकार/विभाग द्वारा स्वीकार्य सिफारिशों पर कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप को सम्बन्धित विभागों/ सरकार को प्रत्युत्तर की अपेक्षा के साथ उनके सूचनार्थ भेजा जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समापन सभाओं में भी चर्चा की जाती है तथा सरकार/ विभाग के विचारों को, निष्पादन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु अन्तिम रूप देते समय, सम्मिलित किया जाता है।

भू-राजस्व विभाग में पिछले पांच वर्षों में दो निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी जिनमें 21 सिफारिशें, कर संग्रहण की प्रणाली एवं कार्य में सुधार हेतु की गयी। विभाग द्वारा चार सिफारिशों को स्वीकार्य किया गया और भूमि मापन में एक समान जरीब[4] को अपनाना, भूमि से सम्बन्धित आंकड़ों की सुरक्षा हेतु बायोमेट्रिक उपकरण को पासवर्ड के माध्यम से संचालित करना और सूचना प्रौद्योगिकी की परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए निर्देश जारी करना, पर कार्य किया। शेष सिफारिशों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2015)।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के साथ-साथ सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दुओं जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदनों, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पांच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, गत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा से आच्छादित क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, 437 इकाइयों की योजना बनाई गई जिनमें से सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। वाणिज्यिक कर विभाग में एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 414 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में 26,511 प्रकरणों में ₹ 634.56 करोड़ राशि के

[4] भूमि मापने की चैन।

अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 179.77 करोड़ के 16,799 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 34.87 करोड़ राशि के 4,655 प्रकरण वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2014-15 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 8,593 प्रकरणों में ₹ 32.14 करोड़ वसूल किये।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में ₹ 346.48 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 37 अनुच्छेद (उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा के दौरान या पूर्व के वर्षों में जिनका पता चला किन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके) समाहित हैं जिनमें 'वेट के अन्तर्गत पंजीयन, निर्धारण एवं संग्रहण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल हैं।

विभाग/सरकार ने ₹ 246.76 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें ₹ 8.95 करोड़ वसूल भी कर लिए गये। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए या संतोषप्रद नहीं पाये गये। इन सभी पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गई है।